भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3402
12.07.2019 को उत्तर के लिए

पौधरोपण

3402. श्री गौतम गंभीर:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में प्रति वर्ष लगाए जाने वाले पौधों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में वन विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभाग/एजेंसियां पौधरोपण के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत निर्धरित क्षेत्र से कम हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार लगाए गए पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की तब तक निगरानी करती है जब तक कि ये पौधे वृक्ष में तब्दील न हो जाएं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार सहित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के परामर्श से बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मद सं. 51 (क) (सार्वजनिक और वन भूमि के अंतर्गत शामिल क्षेत्र) और 51(ख) (उगाए गए पौधों की संख्या) के तहत देश में वनीकरण / वृक्षारोपण के लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों के अलग-अलग विभागों और हरियाली करने वाली एजेंसियों को आगे यह वृक्षारोपण के लक्ष्य सौंपे जाते हैं। इनकी प्रगति रिपोर्ट सामूहिक रूप से इस मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को दी जाती है जो टीपीपी के तहत सामूहिक रूप से उपलब्धियों का संकलन करते हैं। एमओएसपीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल उगाए गए पौधों की संख्या संबंधी उपलब्धियां टीपीपी के तहत मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक हैं। टीपीपी के अंतर्गत विगत वर्षों (2015-16 से 2017-18) के दौरान सभी राज्यों और विशेषरूप से दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश द्वारा उगाए गए पौधों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10.14 लाख वृक्ष उगाए जाने के लिए लक्ष्य के विरूद्ध वन विभाग और अन्य ग्रीटिंग अभिकरणों ने 24.59 लाख वृक्ष उगाए हैं।

(घ) से (ड.) पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 में देश के कुल भूमि क्षेत्र के एक-तिहाई क्षेत्र को वनावरण और वृक्षावरण के तहत लाने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2017 के अनुसार दिल्ली का कुल वन और वृक्षावरण रज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20.59% है, जो आईएसएफआर, 2015 के पूर्व आकलन की तुलना में लगभग3.64 वर्ग किमी की स्पष्ट वृद्धि

को दर्शाता है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश का कुल वन और वृक्षावरण आईएसएफआर, 2015 के पूर्व आकलन 8.93% की तुलना में आईएसएफआर, 2017 के अनुसार, 9.18% तक बढ़ गया है, पिछले आकलन की तुलना में कुल 278 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है जिसका श्रेय वृक्षारोपण के कार्यकलापों और संरक्षण के प्रयासों को दिया जा सकता है।

(च) वृक्षारोपण / वनीकरण बहु-विभागीय प्रयास होने के कारण यह विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी, कार्पोरेट निकायों आदि के द्वारा किया जा रहा है। रोपित पौधों की देखभाल और निगरानी संबंधित राज्यों / संघ शासित सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पौधरोपण के पश्चात रख-रखाव का कार्य जिसमें पानी देना, छंटाई करना और खराब / लुप्त पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाने का कार्य किया जाता है ताकि पौधों का स्वास्थ्य और जीवंन रहना सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार आग आदि से सुरक्षा और विशिष्ट स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के द्वारा रोपित पौधों के स्वास्थ्य की निगरानी के संबंध में सहायता करती है। वनों में आग लगने की घटनाओं, अतिक्रमण को रोककर और अन्य उपायों से पेड़ों की सुरक्षा की जाती है।

******

अनुबंध

'पौधरोपण' के संबंध में श्री गौतम गंभीर और श्री जगदम्बिका पाल द्वारा दिनांक 12.07.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3402 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार (एमओएसपीआई के अनुसार) की टीपीपी के तहत पौधरोपण की उपलब्धियां

वर्ष	रोपे गए पौधों की संख्या (लाखों में)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र			
2015-16	**7583.32**	**9738.43**	**128%**
2016-17	**7082.15**	**14042.88**	**198%**
2017-18	**9460.49**	**10731.01**	**113%**
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली			
2015-16	5.53	9.74	**176%**
2016-17	5.51	8.45	**153%**
2017-18	8.26	सूचना नहीं दी	
उत्तर प्रदेश			
2015-16	310.25	587.03	**189%**
2016-17	376.40	711.93	**189%**
2017-18	654.58	589.92	**90%**

2018-19 की उपलब्धियां अभी तक एमओएसपीआई द्वारा प्रकाशित नहीं की गई हैं

*****